

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन किरायेदारी पंजीकरण प्रणाली

इस ऑनलाइन किरायेदारी पंजीकरण प्रणाली का विकास उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के अंतर्गत किया गया है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी मकान मालिकों, संपत्ति प्रबंधकों एवं किरायेदारों का विवरण एक एकीकृत स्थान पर रखना है।

उत्तर प्रदेश के मकान मालिक, संपत्ति प्रबंधक एवं किरायेदार स्वयं को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से इस ऑनलाइन किरायेदारी पंजीकरण प्रणाली पर पंजीकृत कर सकते हैं तथा आगे की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं। दर्ज की गई समस्त जानकारी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्यवाही हेतु प्रदर्शित होने लगेगी।

इसके अतिरिक्त उपयोक्ता इस प्रणाली के माध्यम से:

- अन्य प्रकार के उपयोक्ता (मकान मालिक अथवा संपत्ति प्रबंधक अथवा किरायेदार) का विवरण भी दर्ज कर सकते हैं
- किरायेदारी अनुबंध अपलोड कर सकते हैं
- दर्ज किए गए विवरण को कभी भी संशोधित कर सकते हैं
- पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में पासवर्ड पुनर्प्राप्त कर सकते हैं
- दर्ज विवरण का रिकॉर्ड रख सकेंगे
- सभी आवश्यक चरणों पर एसएमएस व ईमेल प्राप्त कर सकेंगे

Online Tenancy Registration under U.P. Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021

Online Tenancy Registration System has been developed under U.P. Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 to accumulate the data of all Landlords, Property Managers and Tenants of Uttar Pradesh at a centralized location.

Landlords, Property Managers and Tenants of Uttar Pradesh can register themselves on Online Tenancy Registration System through their Mobile No. and submit further details. The submitted details will be displayed to the Concerned Authorities of Housing and Urban Planning Department, Uttar Pradesh for their perusal.

This portal also facilitates its user to:

- Submit the details of Other User Types (Landlord or Property Manager or Tenant) from same login
- Upload the Tenancy Agreement
- Update the submitted details any time
- Recover Password in case he/she forgets the same
- Maintain the audit trail of submitted details
- Get Email and SMS alerts at all necessary steps